3 राज्य की सरकार
भाग–दो

LSYZGD

पिछले पाठ में आपने पढ़ा है कि सरकार का गठन किस तरह होता है, सरकार बनाने के लिए विधायक कैसे चुने जाते हैं, सरकार कैसे बनती है, मुख्यमंत्री का चयन कैसा होता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है ?

सरकार के मुख्य तीन काम होते हैं– कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और न्याय करना। सरकार कानून कैसे बनाती है और उसे किस तरह लागू करती है, इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे।

1. छत्तीसगढ़ राज्य में रहनेवाले लोगों को कौन–कौन–सी सरकारों के कानून मानने होंगे?
2. क्या छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा बनाया गया कानून ओडिशा में लागू होगा?
3. क्या भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून महाराष्ट्र में लागू होगा?

कानून की आवश्यकता क्यों ?

हमारे देश के लोगों के जीवनयापन के कई तरीके हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। कोई दुकान चलाता है तो कोई पढ़ाता है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सहीं ढंग से प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथ ही विकास, शांति, और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है। उदाहरण के लिए परिवहन कानून को लें। परिवहन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बस, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक आदि चलानेवालों को परमिट दिए जाते हैं ताकि सभी लोगों को कहीं भी आने–जाने की उचित सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही सभी बसें, टैक्सी, आदि व्यवस्थित रूप से चलें। इसी प्रकार जब हम किसी से जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे पटवारी के रिकार्ड में दर्ज कराना पड़ता है। पटवारी के पास जमीन का नक्शा और उस जमीन पर किसका हक है यह रिकार्ड रहता है ।

1. सरकार कानून क्यों बनाती है ?
2. यदि जमीन को पटवारी के रिकार्ड में दर्ज न किया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए।
3. यदि वाहन चलानेवालों को परमिट लेने का कानून न हो तो क्या होगा?

पूरब प्रदेश में जनता मिशन दल की सरकार बन गईं थी। यह सरकार 5 सालों तक चली। इन 5 सालों में विधानसभा की कई बैठकें हुईं। इन बैठकों में राज्य की कई समस्याओं पर चर्चा हुई। कई मसले तय किए गए। जैसे किस दर पर कार, जीप, बस आदि से रोड टैक्स लेना है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली किस दर पर दी जाए। जिनके पास रहने को घर नहीं है, उन्हें उसके लिए जमीन दी जाए, लगान माफ किया जाये कि नहीं, इस तरह सभी विषयों पर विधानसभा में चर्चा हुई।

चित्र–3.1 विधानसभा में विधायकों की बहस

ऐसे कई मसले होते है जिसमें विधायकों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विधायक ने कहा महँगाई बढ़ गई है उसे कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं तो वित्तमंत्री को जवाब देना पड़ता है। कभी शिक्षा से संबंधित बातों को शिक्षा मंत्री से पूछा जाता हैं? तो कभी शहरी विकास मंत्री से शहर के विकास से संबंधित प्रश्न। विधायक कभी मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट होते हैं तो कभी असंतुष्ट। कई बार मंत्रियों की खूब आलोचना भी होती है।

न्यूनतम मजदूरी पर कानून बना

पूरब प्रदेश राज्य की विधानसभा में कानून कैसे बने, इसे जानने के लिए आइए विधानसभा में एक कानून पर होने वाली चर्चा एवं बहस को देखें :–

सबसे पहले मंत्रिमंडल ने तय किया कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए। इसलिए श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी का बिल पेश किया। पहले दिन प्रस्तावित विधेयक की प्रतियाँ बाँटी गईं।

प्रस्तावित कानून को विधेयक या बिल भी कहते हैं।

विधेयक पेश करते हुए श्रम मंत्री ने कहा, ''पिछले कुछ सालों में उत्पादन बहुत बढ़ गया है। लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है। कई मजदूर संगठनों ने मजदूरी बढ़ाने के लिए आवाज उठाई है। कई बार हड़तालें भी हुई हैं। इससे उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वास्तव में मजदूरों की माँगें जायज हैं। सरकार को जनहित में सोचना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव (बिल) रखा है। इसमें उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की कम–से–कम मजदूरी जो वर्तमान में छ.ग. में औसतन मजदूरी दर लगभग 380.20 रुपए प्रतिदिन है। अभी 70 रुपए प्रतिदिन है, उसे बढ़ाकर 100 रुपए किया जाना है। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी 50 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 70 रुपए किया जाना है। आप लोगों के पास विधेयक की प्रति है। कृपया आप उसे ध्यान से पढ़ें।''

कुछ दिन बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सभी ने बिल बड़े ध्यान से पढ़ा था। हर बिन्दु पर विस्तार से विचार हुआ। कोई बिल के पक्ष में बोलता तो कोई विपक्ष में।

विधेयक पर बहस

जनता मिशन दल के विधायकों ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में अधिकांश खेतिहर मजदूर हैं। जब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकेगा। फिर कुछ और विधायकों ने भी समर्थन किया। भारत दल के विधायक इस बिल के विरुद्ध थे। भारत दल की एक महिला विधायक ने कहा–''मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करूँगी, क्योंकि समान कार्य के लिए समान मजदूरी स्त्री और पुरुषों को मिलनी चाहिए। इसका नियम तो बना है, किन्तु इसका पालन नहीं किया जाता। महिलाओं को आज भी पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है।''

जनता मिशन दल के एक विधायक ने खड़े होकर कहा– ''सरकार यह ध्यान देगी कि मजदूरों को नए दर से मजदूरी दी जाए। महिला और पुरुषों को समान मजदूरी मिले इसके लिए इस बिल में खास प्रावधान किए गए हैं।'' आखिर में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बिल पर काफी चर्चा हो गई है। अगले दिन इस पर मतदान होगा।

जनता मिशन दल के 38 विधायक एवं अन्य दलों के 2 विधायकों ने बिल का समर्थन किया। लेकिन भारत दल एवं कुछ अन्य दलों ने बिल का विरोध किया। इस बिल के पक्ष में 40 और विपक्ष में 29 मत पड़े। विधानसभा में बिल पास हो गया। इसके बाद बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया। उनके हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन गया और सरकारी राजपत्र के द्वारा इसे पूरे राज्य में प्रसारित कर दिया गया।

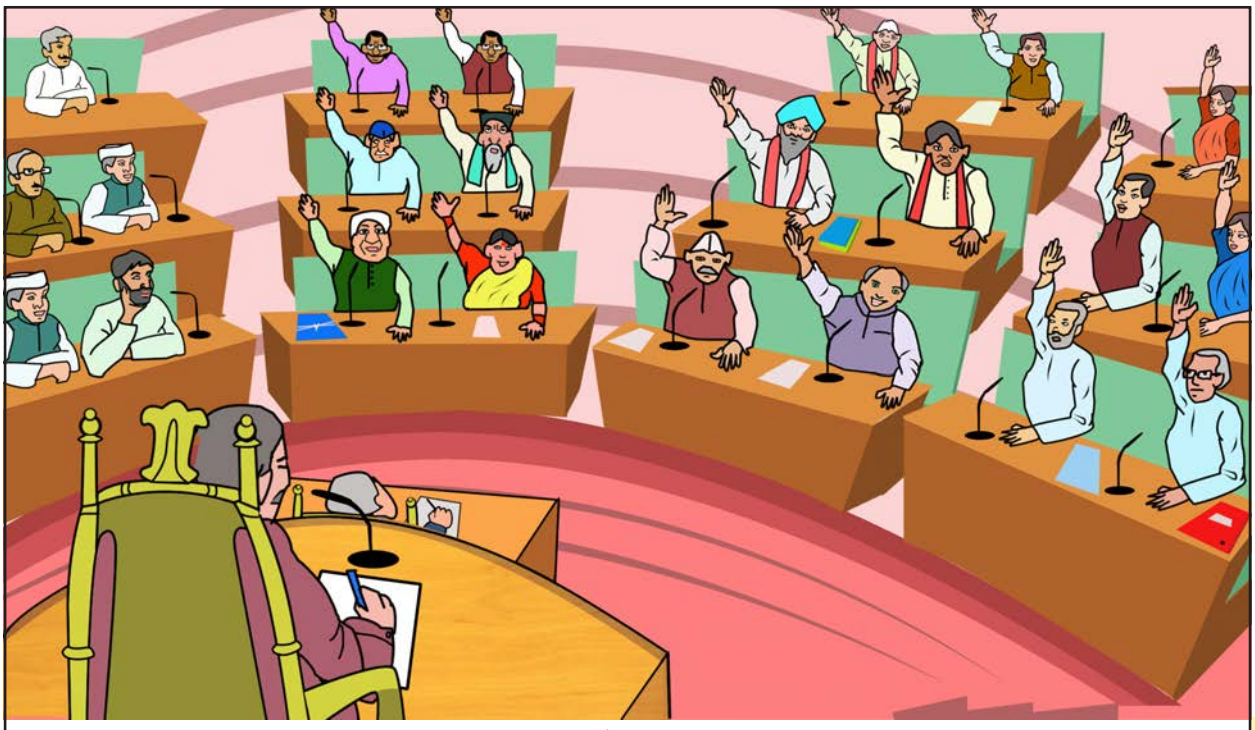

चित्र–3.2 विधेयक पर मतदान

राजपत्र (गजट) में छपकर यह कानून जिलाधीश जैसे सरकारी अधिकारियों के पास पहुँचा। अब यह देखना उनकी जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक मजदूर को बढ़ी हुई दर पर मजदूरी मिले जितनी विधानसभा में तय की गई है।

1. पूरब प्रदेश विधानसभा में बिल को पास करने के लिए कम–से–कम कितने मतों की आवश्यकता होगी?
2. किसी भी बिल को बहुमत से पास करना क्यों जरूरी है? शिक्षक से चर्चा करें।

कानून बनाने का तरीका

इस तरह हमने देखा कि विधानसभा में कुछ विषयों पर जैसे (कानून, व्यवस्था, शिक्षा) कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने से पहले उस विषय पर एक बिल, जिसे विधयेक (कानून का प्रस्ताव) कहा जाता है, विधानसभा में पेश किया जाता है। उस पर खूब बहस व चर्चा होती है। कुछ मुद्दों पर विधेयक में फेर–बदल भी किया जाता है। विधानसभा में उपस्थित विधायकों में से आधे से अधिक विधायक जब किसी विधेयक के पक्ष में हों तभी वह विधेयक पास हो सकता है।

न्यूनतम मजदूरी के कानून का पालन न होना

गोपालपुर के लोग न्यूनतम मजदूरी का कानून बनने से खुश थे। वे यह जानते थे कि उनको अब बढ़ी हुई दर से 380.20 रुपये मजदूरी मिलेगी। कुछ दिनों बाद वहाँ खरंजा निर्माण कार्य शुरू हुआ। कई महिलाएँ भी इसमें काम कर रही थीं। लेकिन काम करनेवालों को केवल 40 रुपए ही दिया जा रहा था। महिला मजदूरों ने स्थानीय अधिकारी एवं कलेक्टर के पास शिकायत की। कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जाँच करने एवं सही मजदूरी दिलाने का निर्देश दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जाँच की और पाया कि मजदूरी कम दी जा रही थी। उन्होंने काम कराने वाले को बुलाकर डाँटा व पूरी मजदूरी देने को कहा।

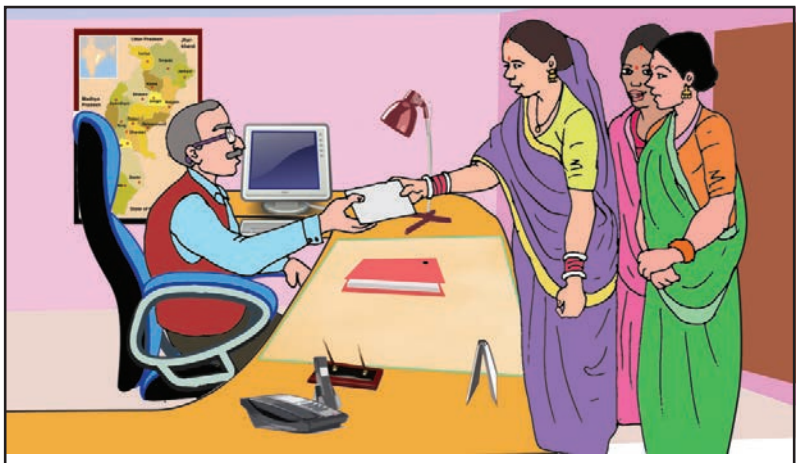

चित्र–3.3 कलेक्टर से शिकायत करती हुए महिलाएं

आओ चर्चा करें

1. खरंजा निर्माण का काम करानेवाले व्यक्ति द्वारा कम मजदूरी देना सही था या गलत? चर्चा करें ।
2. आपके इलाके में मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है या नहीं। चर्चा करें।
3. गोपालपुर की मजदूर महिलाओं ने किससे शिकायत की और क्या शिकायत की?
4. यदि किसी काम में लगे मजदूरों को कम मजदूरी मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए?
5. चित्र 3.3 को देखने से क्या–क्या जानकारियाँ मिलती है?

कानून लागू करना

कानून बनाने का काम विधायिका (विधानसभा) द्वारा किया जाता है जबकि कानून को लागू कराने का काम मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के सहयोग के लिए अधिकारी व कर्मचारी होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जैसे कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस, पटवारी आदि। इन सबको राज्य सरकार वेतन देती है और उन्हें शासन के आदेशों का पालन करना होता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए –

   1. केन्द्र सरकार का एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य में होता है जिसे ——— कहते हैं।
   2. विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का काम ——— का है।
   3. जिस दल को ——— मिलता है उसी दल की सरकार बनती है।

2. प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

   1. आप पर किन किन सरकारों के कानून लागू होते हैं।
      (अ) केन्द्र सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार। (ब) छत्तीसगढ़ सरकार।
      (स) मध्यप्रदेश सरकार।
   2. राजनैतिक दल किसे कहते हैं?
   3. चुनाव प्रक्रिया के बारे में 3 मुख्य बातें लिखिए।
   4. मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं?
   5. पंच और विधायक के चुनाव में क्या अंतर है?
   6. पूरब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का कानून कैसे बना? अपने शब्दों में लिखें।
   7. नीचे विधानसभा और मुख्यमंत्री के कामों की सूची दी गई है। इनके कामों को अलग कीजिए और तालिका बनाइए–
      राज्य के लिए कानून बनाना, मंत्रियों में विभाग बाँटना, मंत्रियों से काम–काज पर प्रश्न पूछना, बजट पारित कराना, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना।

3. इनके बारे में दो–दो वाक्य लिखें :–

   उम्मीदवार, पार्टी, विधायक, बिल, कानून, मंत्रिमंडल

गतिविधि–

शिक्षक की सहायता से एक नाटक खेलें जिसमें किसी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए कानून बनाना हो।